	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
6/२५	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता उप० रहे। विगत तारीख पेशी पर उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी जा चुकी है। अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

सीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

अपील संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05/ /18	30.11.2018	06.06.2025

उनवान

01. विजयकुमार डाटा दत्तक पुत्र स्व0 श्री गंगादीन डाटा जाति महाजन निवासी भगवती सदन स्वामी दयानंद मार्ग अलवर।

.........................अपीलान्टान

बनाम

01. बाबुलाल डाटा पुत्र स्व0 श्री रामनिवास डाटा जाति महाजन निवासी ए 115 बैंक कोलानी अलवर

.... रेस्पोडेन्ट

02. दयाकिशन डाटा पुत्र स्व0 निरंजनलाल डाटा जाति महाजन निवासी भगवती सदन स्वामी दयानंद मार्ग अलवर

...............तरतीबी रेस्पेडेन्ट

अपील प्रथम अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम (नामान्तरकरण द्वारा ग्राम पंचायत)

निर्णय

अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट विजयकुमार डाटा ने ग्राम पंचायत खोह तहसील रामगढ़, जिला अलवर द्वारा स्वर्गीय गुलाब देवी पत्नी स्वर्गीय गंगादीन के विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1599 निर्णय दिनांक 07.07.2001 के विरुद्ध प्रथम अपील अर्न्तगत धारा –75 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय की प्रस्तुत की है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 770 मिन रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 773 रकबा 9 बिस्वा, 792 रकबा 8 बिस्वा, 775/1028 मिन रकबा 11 बिस्वा, 777 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 795 मिन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 748 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 790 रकबा 7 बिस्वा, 793 रकबा 17 बिस्वा, 794 रकबा 17 बिस्वा, 795 रकबा 8 बिस्वा, 791 रकबा 2 बीघा, 906 मिन रकबा 5 बीघा, 772 मिन रकबा 1 बीघा र बिस्वा, 775 मिन रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 774 मिन रकबा 15 बिस्वा, 776 रकबा 6 बिस्वा किता 17 कुल रकबा 26 बीघा तथा खसरा नं0 775 मिन 1 बीघा 2 बिस्वा, 795 मिन रकबा 2 बिस्वा, 795 मिन रकबा 4 बिस्वा, 796 मिन रकबा 16 बिस्वा, 777 मिन रकबा 5 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा। इस प्रकार उक्त भूमि का कुल किता 22 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा जिनके हाल खसरा नं0 992 रकबा 0.30 हे0, 1195 रकबा 1.27 हे0, 1252 रकबा 0.28 हे0, 1266 रकबा 0.09 हे0, 1267/0.51, 1269/0.21, 1270/0.03,1271/0.10, 1272/0.05, 1275/0.53, 1276/0.43, 1278/0.21,

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

1283 / 0.19, 1284 / 0.11, 1285 / 0.28, 1313 / 1.53, 1314 / 0.49, 990 / 1508 / 0.14, 991 / 0 ...से किता 20 रकबा 6.93 है0 तथा खसरा नं0 993 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 1277 रकबा 0.20 है0 ...ता 2 रकबा 0.26 है0 इस प्रकार उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बरान के कुल किता 22 जिसका कुल ...7.19 है0 है जो वाके ग्राम बांछोली, तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है जिसके संबंध में श्रीमति ...ब देवी के स्वर्गवास दिनांक 08.7.1999 के पश्चात इनका विरासत का इंतकाल नम्बर 1599 दिनांक 07.07 ...001 सरपंच ग्राम पंचायत खोह, तहसील रामगढ़, जिला अलवर द्वारा अवैध व अनाधिकृत तरीके से मृतक निरंजनलाल निस्फ हिस्सा व बाबुलाल निस्फ हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो न्याय के तयशुदा वसूलों के सर्वथा उल्लघंन में विधि के प्रावधान व तथ्यो के विरुद्ध पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील में यह भी वर्णित किया गया है कि स्वर्गीय गुलाब देवी व उनके पति स्वर्गीय गंगादीन महाजन द्वारा अपीलान्ट विजय डाटा को सन् 1965 में मुताबिक रिवाज बिरादरी व हिन्दु धर्मशास्त्रों के अनुसार गोद ले लिया था इस प्रकार अपीलान्ट विजय कुमार खातेदार गुलाब देवी के दत्तक पुत्र है इसके अतिरिक्त स्वर्गीय गुलाब देवी द्वारा एक वसीयतनामा भी बहक विजय कुमार दिनांक 14.6.1999 तहरीर व तकमील किया गया था जिसमें गोदनामा का हवाला दिया हुआ है। गंगादीन महाजन का स्वर्गवास दिनांक 30.5.1978 को हो चुका है तथा अपीलान्ट विजय कुमार बतौर पुत्र स्वर्गीय गंगादीन व गुलाब देवी के साथ रहते आ रहे थे। यह हैं कि खातेदार गुलाब देवी ने अपने जीवनकाल में वसीयतनामा भी बहक अपीलान्ट तहरीर व तकमील किया गया। उक्त वसीयतनामा दिनांक 14.6.1999 को नियमानुसार नोटरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है तथा 10 / –रु. के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर लिखा गया है जिस पर नियमानुसार 2 गवाहों की गवाही अंकित हैं गौरतलब है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाबूलाल द्वारा उक्त वसीयत पर नियमानुसार गवाही की गई है। वसीयत के अनुसार श्रीमती गुलाब देवी की चल व अचल सम्पत्ति के एक मात्र वारिस अपीलान्ट विजय कुमार है तथा अपीलान्ट बतौर वारिस आराजी पर आज तक शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करता चला आ रहा है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का मौका दिया गया अन्यथा वसीयत के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार श्रीमती गुलाब देवी का इंतकाल विरासत अपीलान्ट के हक में दर्ज जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित कर इंतकाल दर्ज किया गया जो एक विधिक त्रुटि है। अतः अपील हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत खोह बाबत इंतकाल संख्या 1599 मनसुख फरमाया जावे व इंतकाल मुताबिक वसीयत दिनांक 14.6.1999 अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार फरमाया जानें। अपील में अन्य अभिकथन भी वर्णित किये गये तथा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने जवाब प्रार्थना पत्र जेट दफा 5 कानून मियाद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि यह हैं कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थी ने अपनी वल्दीयत दत्तक पुत्र गंगादीन को आधारित करके गलत तथ्यों के अधार पर अपील न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत की है जिसमें कामयाबी की उम्मीद करना स्वपन मात्र है। यह है कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 2 गलत है स्वीकार नहीं है। अपीलाण्ट का यह कहना गलत है कि उन्हें नामान्तरणकरण संख्या 1599 दिनांकित 07–07–2001 की जानकारी दिनांक 04–10–2018 को हुई हो अपितु नामान्तरणकरण संख्या 1599 के सम्बन्ध में स्वयं विजय कुमार डाटा पुत्र निरन्जन लाल डाटा के निर्देशानुसार और उनके कहे मुताबिक तथा सजरे के सम्बन्ध में दी गई जानकारी के आधार पर विजय कुमार डाटा के द्वारा ही दर्ज और स्वीकृत कराया गया है। इसलिए आरम्भ से ही आलोच्य की आदेश जानकारी अर्थात दिनांक 07–07–2001 से विजय कुमार डाटा को रही है। यह है कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है। विजय कुमार डाटा जिसने अपील हाजा में अपनी गलत वल्दीयत दर्ज करते हुए पेश की है, को तहत न्यायालय के निर्णय एवं इंतकाल की जानकारी जैसा कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में जवाब दिया गया है, के मुताबिक आरम्भ से ही रही है विजय कुमार डाटा का यह कहना गलत है कि निरन्जन लाल डाटा का स्वर्गवास होने के पश्चात्

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बाबूलाल डाटा द्वारा जिमन में उल्लेखित तथ्य दिनांक 01-10-2018 को [दे]ने के आधार पर आलोच्य आदेश की जानकारी हुई हो। सन् 2007 तक विजय कुमार डाटा पुत्र निरन्जन डाटा और रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 तथा इनके स्व० निरन्जन लाल डाटा [सम्मि]लित परिवार के सदस्य रहे है जो काफी समय तक संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है किन्तु सन् 2007 में [स]म्पत्ति विवाद होने के कारण आपस में मतभेद पैदा हो गये। सन् 2007 से पूर्व समस्त जायदाद एवं कारोबार को विजय कुमार डाटा पुत्र निरन्जन लाल डाटा व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट ही देखरेख करते रहे है और आलोच्य आदेश दिनांक 07-07-2001 को भी विजय कुमार डाटा के निर्देशानुसार और उनके बताये हुए तथ्यों के आधार पर इन्तकाल संख्या 1599 सही विधि अनुसार जायज वारिसों के नाम दर्ज को स्वीकृत किया गया है। विजय कुमार डाटा द्वारा जिमन हाजा में अपील को अन्दर मियाद लेने की गर्ज व नियत से झूठे वाकेयात दर्ज करते हुए कूटरचित वसीयत तैयार कर लालच के वशीभूत होकर यह अपील हाजा न्यायालय श्रीमान् में पेश की है जो अपील प्रथम दृष्टया मियाद बाहर होने के कारण काबिल खारिज है तथा अपील के साथ जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है वह काबिल खारिज है तथा अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नही है। यह है कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 4 गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थी विजय कुमार डाटा पुत्र श्री निरन्जन लाल डाटा को अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है तथा दिनांक 07-07-2001 से दिनांक 26-11-2018 तक की लम्बी अवधि अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत मुजरा करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्राकृत का निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली के अवलोकन से यह उचित पाया गया कि प्रार्थना पत्रधारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जावें जिसके कि अपील पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर अपील निर्णीत की जा सके। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पर आगे सुनवाई की गई।

प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपील में वर्णित कथनों का दोहराव किया तथा प्रमुखतः कथन किया कि विचाराधीन वसीयत कूटरचित नहीं है क्योंकि इसके संबंध में कोई एफआईआर आजदिनांक तक दर्ज नही करायी गयी है। अपीलान्ट विजय कुमार को1965 में मुताबिक रिवाज बिरादरी व हिन्दु धर्मशास्त्रों के अनुसार गोद ले लिया था इस प्रकार अपीलान्ट विजय कुमार खातेदार गुलाब देवी के दत्तक पुत्र है और दत्तक पुत्र के लिए विरासत इंतकाल अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार अपीलान्ट के पक्ष में नोटरी से तस्दीकशुदा वसीयतनामा दिनांक 14.6.1999 भी हुई है जिसके अनुसार भी अपीलार्थी के हक सृजित होते हैं अतः अपील सीकार कर वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के आदेश किये जावें। बहस सुने के पश्चात व निर्णय लिखे जाने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा पुनः लिखित बहस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

दौरान बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित के कथनों का दोहराव किया तथा प्रमुखतः कथन किया कि अपीलान्ट के तर्क विरोधाभासी है एक तरफ अपीलार्थी स्वंय को दत्तक पुत्र वताकर अपने पक्ष में इंतकाल का अनुतोष चाहता है वही दूसरी तरफ वसीयत पर जोर देकर वसीयत के आधार पर इंतकाल अपने पक्ष में स्वीकार करवाना चाहता है इस प्रकार अपीलार्थी स्वंय स्पष्ट नहीं हैं और वसीयत के उल्लेख आधार पर स्वयं को दत्तक सिद्ध करने में प्रयासरत् है जो एक गलत प्रयास है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क भी अपील में प्रस्तुत सजरे से सुसंगत नहीं है जैसा कि अपीलार्थी ने स्वंय को 1965 में गोद जाना वताया है और गंगादीन की मृत्यु 1978 में हुई है इस प्रकार यदि अपीलार्थी गंगादीन व गुलाब देवी का दत्तक पुत्र होता तो तत्समय गंगादीन का विरासत का इंतकाल गुलाब देवी व अपीलार्थी के पक्ष में किया जाता जबकि ऐसा न होकर वह इंतकाल केवल गुलाब देवी के पक्ष में स्वीकार हुआ था। उस इंतकाल को अपीलार्थी द्वारा चैलेंज नहीं किया गया है इससे भी स्पष्ट है अपीलार्थी दत्तक पुत्र नहीं है। और दत्तक पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

लिए कानूनन गोदनामा का पंजीयन अनिवार्य है, जबकि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई पंजीबद्ध गोदनामा नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिस वसीयत दिनांक 14.6.1999 में बाबूलाल के गवाह होने का दावा ा गया है वह इस प्रकार असत्य है तथा कूटरचित जैसा कि प्रस्तुत वसीयतनामा पर बाबूलाल के हस्ताक्षर ही है वरन केवल नाम लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दस्तावेज (दिनांक 01.10.2018) पर बाबूलाल के हस्ताक्षर है अर्थात बाबूलाल हस्ताक्षर करता था, परन्तु वसीयतनामा पर उसका केवल नाम लिखा जाना और हस्ताक्षर न होना वसीयतनामा को असत्य व कूटरचित सिद्ध करता है। अपीलाधीन इंतकाल जब निर्णीत किया गया था तत्समय अपीलार्थी के चाचा निरंजनलाल जीवित थे जो बड़े होने के नाते परिवार के कर्त्ता धर्ता थे। आज उनकी अनुपस्थिति मे यह नही माना जा सकता कि तत्समयअपीलाधीन इंतकाल को निर्णीत करते समय उन्हें सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो। अपील के लिए इतने लम्बे समय लगभग 18 साल बाद न्यायालय के समक्ष आने के लिए अपीलार्थी को देरी के प्रत्येक दिन के कारण को स्पष्ट करना चाहिए जो नही किया गया है अर्थात देरी स्वैच्छिक और जानबूझकर की गई है और इससे इस प्रकार की देरी से अधिकार का अवसान भी हो जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी स्वयं स्पष्ट नहीं है कि वह अपने पक्ष में इंतकाल गुलाब देवी व गंगादीन का दत्तक पुत्र होने के आधार स्वीकार करवाना चाहता है अथवा वसीयत दिनांक 14.06.1999 के आधार पर स्वीकार करवाना चाहता है। हालांकि अपील में अन्त में अनुतोष में इंतकाल मुताबिक वसीयत दिनांक 14.6.1999 अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि गंगादीन का विरासत का इंतकाल केवल गुलाब देवी के पक्ष में स्वीकार किया गया जिनमें अपीलान्ट विजय कुमार डाटा को गुलाब देवी के साथ साथ दत्तक पुत्र के रूप में अंकित नहीं किया गया है और न ही अपीलान्ट द्वारा कोई पंजीवद्ध गोदनामा प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार अपीलान्ट को दत्तक पुत्र माना जाकर उसके पक्ष में इंतकाल की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार जिस वसीयतनामा दिनांक 14.6.1999 के आधार पर इंतकाल की कार्यवाही चाही गई है, अपील में इस वसीयतनामा पर बाबूलाल का गवाह के रूप में होना अभिकथित किया गया है जबकि परीक्षण से यह पाया गया कि इस पर बाबूलाल के हस्ताक्षर नहीं है। इस वसीयतनामा पर पहचानकर्त्ता का भी केवल नाम अंकित है, हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है। इस प्रकार वसीयत की सत्यता संदेहास्पद है यह भी उल्लेखित हैं कि वसीयत पंजीवद्ध न होकर नोटरी से तस्दीक है। यदि अपीलान्ट को इस वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी है तो उसके पास अनुतोष के लिए विकल्प है कि वह सक्षम न्यायालय से प्रोबेट जारी करवा सकता है।

यह न्यायालय प्रस्तुत अपील के आधार पर यह उचित नही पाता है कि अपीलाधीन इंतकाल को मनसुख किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में इंतकाल के आदेश जारी करें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलि नम्बर से कम होकर बाद वांछित कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हो ।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर